न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 94 / 2014

1 अजय पाण्डे पुत्र सत्यनारायण पाण्डे जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल निवासी नरदेवी काठमाण्डू नेपाल।
2 द्रोपदी देवी पत्नी सत्यनारायण पाण्डे जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 परमात्मा देवी पत्नी काशीनाथ पाण्डे।
2 सन्दीप पाण्डे पुत्र काशीनाथ पाण्डे समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू।
3 श्रीमती पिंकी पुत्री काशीनाथ पाण्डे पत्नी महेन्द्र कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल किरायेदार सांवरमल वर्मा का मकान गणेश मन्दिर के पास बगड़ रोड़ झुंझुनू।
4 श्रीमती ज्योति पुत्री काशीनाथ पाण्डे पत्नी घनश्याम जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल निवासी रतनगढ़ जिला चुरू।
5 कुमारी रक्षा पुत्री काशीनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू।
6 पुनित पाण्डे पुत्र विश्म्भरलाल पाण्डे।
7 सोनू पाण्डे पुत्र विश्म्भरलाल पाण्डे।
8 सुमित पाण्डे पुत्र विश्म्भरलाल पाण्डे समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण गणेश मन्दिर के पास बगड़ रोड़ झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

9 श्रीमती सीमा पुत्री विश्म्भरलाल पाण्डे पत्नी भवानी शंकर जाति ब्राहम्ण निवासी गणेश मन्दिर के पास बगड़ रोड़ झुंझुनू हाल निवासी नानसा गेट के पास गंगा माई के मन्दिर के पास नवलगढ़ झुझुनू।

10 श्रीमती प्रीती पुत्री विश्म्भरलाल पाण्डे पत्नी मुकेश जाति ब्राहम्ण निवासी गणेश मन्दिर के पास बगड़ रोड़ झुंझुनू हाल निवासी खाजपुर झुझुनू।

11 श्रीमती विमला पुत्री मांगेलाल पाण्डे पत्नी रामजीलाल जाति ब्राहम्ण हाल निवासी शीतला मन्दिर के पास लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

12 श्रीमती ललिता पुत्री मांगेलाल पाण्डे पत्नी रामस्वरूप जाति ब्राहम्ण निवासी तोगड़ा खुर्द तहसील व जिला झुझुनू।

13 श्रीमती आशा पुत्री सत्यनारायण पत्नी श्रीकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल निवासी केड़ झुझुनू।

14 श्रीमती ऊषा पुत्री सत्यनारायण पत्नी अशोक जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल निवासी सौन्थली झुझुनू।

15 श्रीमती संगीता पुत्री सत्यनारायण पत्नी सुनिल कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी नटराज सिनेमा के पास वार्ड नम्बर 37 झुंझुनू हाल निवासी नवलगढ़ झुझुनू।

16 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार झुंझुनू जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 01.09.2006
डिक्री दिनांक 11.09.2006 द्वारा उपखण्ड
अधिकारी झुंझुनू उनवानी परमात्मा देवी बनाम
संदीप वगैरह दावा बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती
रिकार्ड मुकदमा नम्बर 84/2006

उपस्थिति :

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

1. श्री संदीप महला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री जितेन्द्र निर्मल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 30.5.23

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा नम्बर 84/2006 में पारित निर्णय दिनांक 01.09.2006 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. एक वादिया ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के न्यायालय में रेस्पोडेन्ट नं. 2 व रेस्पोडेन्ट नं. 13 को प्रतिवादीगण बनाकर एक दावा इस आशय का पेश किया कि श्री मांगेलाल पुत्र स्व प्रेमसुख के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नं. 209 रकबा 0.25 हैक्टर, खसरा नम्बर 210 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 211 रकबा 2.34 हैक्टर, कुल रकबा 3.79 हैक्टर वाके कस्बा झुन्झुनू में स्थित है श्री मांगेलाल इस आराजी पर राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के 14 अक्टूबर 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व से कब्जा काश्त चला आ रहा था परन्तु भूलवश यह आराजी श्री मांगेलाल गैर खातेदारी में दर्ज हो गई इस तरफ से न तो किसी ने ध्यान दिया ओर न कानूनी अडचन पैदा हुई इस कारण लम्बे समय तक गैर खातेदारी मे चलती रही परन्तु उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के आदेश दिनांक 11.11.2005 की पालना में उक्त भूमि श्री मांगेलाल पुत्र स्व. श्री प्रेमसुख की खातेदारी में दर्ज हो गई जो विधिवत दर्ज हुई है। वह इंतकाल संख्या 3641 दिनांक 09.12.2005 का तस्दीक हो गया व खातेदारी का रेवेन्यू रिकार्ड तैयार होकर जमाबन्दी सम्वत 2061 से 2064 बन गई मांगेलाल का देहान्त हो गया उसका वारिस काशीनाथ पाण्डे जो श्री मांगेलाल का पुत्र था का भी देहान्त 20.02.2006 को हो गया वादिनी काशीनाथ की धर्मपत्नी है प्रतिवादी नम्बर एक पुत्र है। श्री काशीनाथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

कानूनन मांगेलाल का पुत्र होने के कारण वादिनी तथा प्रतिवादी नं. एक काशीनाथ के पुत्र होने के नाते आराजी के खातेदारी काश्तकार है व खातेदारी हकूक प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस पर न्यायालय मे दावा प्रस्तुत किया ओर रेस्पोडेन्ट नं. वादिंनी ने अपने पक्ष समर्थन में अपने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया दस्तावेज प्रदर्श 1 से 3 प्रदर्शित करवाये जिसमें प्रदर्श एक प्रमाण पत्र के अनुसार रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने मांगेलाल के एक मात्र उत्तराधिकारी काशीनाथ पाण्डे को बतलाया जिस पर न्यायालय ने उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि का दावा डिकी करते हुए रेस्पोडेन्ट नं. 1 (वादिया) एवं रेस्पोडेन्ट नं. 2 संदीप को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निर्णय व डिकी पारित कर दी जिससे अपीलान्ट ने स्वर्गीय मांगेलाल के विधिक रूप से वारिस होने के कारण उक्त निर्णय व डिकी के विरूद्ध धारा 5 व धारा 96 के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट स्वर्गीय मांगेलाल से वारिस होने से प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार है। रेस्पाडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया था। अतः अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। न्यायहित में धारा 5 व धारा 96 स्वीकार की जावें। गुणावगुण पर बहस करते हुए वकील अपीलांट ने कथन किया कि विवादित भूमि काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व मांगेलाल के हक अधिकार में थी। अपीलांट ने अपील मेमो में वंशावली प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार अपीलांट मांगेलाल के उत्तराधिकारी होने से हितबद्ध पक्षकार है। वादी रेस्पोडेन्ट ने विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना दावा डिकी करवाया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 के साथ प्रस्तुत जिला न्यायाधीश के निर्णय से अपीलांट वारिस होना प्रकट होता है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण सभी पक्षकारों सुनकर निर्णय हेतु रिमांड किया जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
सीकर

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट द्वारा पूर्व के मुकदमों को छिपाते हुए अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा वरवक्त बहस धारा 5 व धारा 96 पर कोई कथन नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा अपील मेमो में अंकित वंशावली स्वीकार है। रेस्पोडेन्ट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद में कही भी एकमात्र वारिस होने का कथन नहीं किया गया है। विवादित आराजी का 1990 में तीनों भाईयों में बंटवारा हो चुका था। विवादित भूमि के संदर्भ में रेस्पोडेन्ट 6 से 11 द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 201/2007 सुमन देवी बनाम परमात्मा दिनांक 24.09.2008 को राजीनामें से खारिज की गई है। इसमें अपीलांट का भी शपथ पत्र संलग्न है। बंटवारे की प्रतिलिपि, फौजदारी मुकदमें में राजीनामा एवं अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य लिखित बंटवारे की प्रति प्रस्तुत की गई है। अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन में दिनांक 16.07.2014 को जानकारी होने का कथन किया है जबकि सन् 2008 में अपील संख्या 201/2007 में प्रस्तुत अपीलांट के शपथ पत्र से अपीलांट को जानकारी होने का तथ्य प्रमाणित है। अपीलांट ने तथ्यों को छुपाकर अपील प्रस्तुत की है। अपील खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने रिबटल में कथन किया कि हितबद्ध पक्षकार होने से धारा 5 व धारा 96 न्यायहित में स्वीकार योग्य है। वादीगण द्वारा मांगेलाल की मृत्यु के 15 वर्ष पश्चात दावा प्रस्तुत किया गया है। अपीलांट ने अपील संख्या 201/2007 में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किए गये है। अपील न्यायालय में दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ ही प्रस्तुत किये जा सकते है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अपील मियाद बाहर धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। गुणावगुण पर विवेचन से पूर्व धारा 5 पर निर्णय किया जाना है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस अपील से पूर्व एक अपील निर्णय 01/09/2006 व डिक्री दिनांक 11/09/2006 के खिलाफ उनवानी सुमन देवी बनाम परमात्मा देवी मुकदमा नं. 01/07 प्रस्तुत की गई जिसमें सभी अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट पक्षकार थे जो इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 24.09.2008 को पक्षकारान ने आपस में राजीनामा कर लिया तथा जरिए राजीनामा उक्त अपील खारिज हो गई थी जिसमें सत्यनारायण के वारिसान अपीलान्ट नं. 1, 2 व रेस्पोडेन्ट नं. 14, 15, 16 द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है जिनमें अपीलान्ट अजय पांडे, द्रोपती देवी पत्नी सत्यनारायण, संगीता पुत्री सत्यनारायण, ऊषा पुत्री सत्यनारायण, आशा पुत्री सत्यनारायण व मांगीलाल की दोनों पुत्रीया बिमला देवी व ललीता देवी द्वारा शपथ पत्र पेश किये गये है तथा विशम्भर के वारिसान रेस्पोडेन्ट 6 लगायत 11 की ओर से राजीनामा पेश किया गया है जो तस्दीक हुआ है तथा जरिए राजीनामा विड्रा के आधार पर उक्त अपील खारिज फरमा दी गई थी। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी अपील में उपस्थित होकर शपथ पत्र पेश करने की दिनांक 15.01.2007 को होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित है। यद्यपि अपीलांट के अधिवक्ता ने वरवक्त बहस यह शपथ पत्र अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जाने का कथन किया है किन्तु यह शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं इसके कुटरचित होने के संदर्भ में अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक कोई विधिक कार्यवाही किये जाने का कथन/साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा विचाराधीन निर्णय व डिक्री की अपील 2014 में 7 साल के विलम्ब से प्रस्तुत की गई है जिसके विलम्ब का संतोषप्रद कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। इस प्रकार अपील मियाद बाहर है तथा खारिज होने योग्य है। अतः प्रकरण के गुणावगुण पर विवेचन की आवश्यकता नहीं है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर खारिज योग्य पाई जाती है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30/05/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर